न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– सुप्रिया, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 388 / 2024 निर्णय दिनांक :– 30/4/26

खयालीराम बनाम प्यारेलाल वगै0

खयालीराम पुत्र नारायण जाति जाट निवासी दूडिया तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

– वादी

बनाम

1. प्यारेलाल पुत्र धूड़ा
2. मनोहरी पत्नी धूड़ा
3. महेन्द्र पुत्र धूड़ा
4. महेश कुमार पुत्र धूड़ा
5. राजपाल पुत्र रामकुमार
6. रामस्वरूप पुत्र नारायण
7. शीशराम पुत्र धूड़ा
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
9. राज्य सरकार (लैण्ड होल्डर) जरिये तहसीलदार गुढागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज्य राजस्थान

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत् विभाजन भूमि व लगान एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद वादी निम्न प्रकार सेवामें पेश कर निवेदन है कि – ग्राम व पटवार हल्का दूडिया में भूमि खसरा नम्बर 1259 / 860, 858, 860 रकबा क्रमशः 0.1000 है0, 0.0100 है0, 0.4200 है0 कुल खसरा 3 का कुल रकबा 0.5300 है0 अवस्थित है। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है तथा अवशेष हिस्सा प्रतिवादीगण 2 लगायत 7 का दर्ज राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 प्रस्तुत भूमि के सहखातेदार है, उनके मध्य विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। विधिवत् विभाजन के अभाव में सीमाओं व रास्ते को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है तथा भूमि का इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने में असमर्थ हैं। भूमि सड़क के पास होने से रूपान्तरण में अनावश्यक परेशानी उत्पन्न होती है। प्रतिवादीगण चतुर, चालाक व झगडालु प्रवृति के आदमी हैं जो आये दिन वादी के कब्जे की भूमि को व सीमाओं व रास्ते बाबत् विवाद करते हैं तथा लडाई झगड़ा करते रहते हैं तथा भूमि को वेस्ट एण्ड डेमेज करते है। वैसे भी खाता शामलाती रहने से वादी अपने हक व हिस्से की भूमि में आवश्यक सुधार करने में तथा ऋण वगैरा लेने में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है व रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं। प्रस्तुत वाद के लिए वादकारण दिनांक 03.10.2022 को प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि का बंटवारा कराने की कहने पर इंकार होने व रास्ते में बाधा उत्पन्न करने के रोज से पैदा हुआ जो लगातार जारी है। इस कारण यह दावा बाबत् विधिवत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा को होने के कारण पेश करना आवश्यक हुआ। अन्त में वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया है कि वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम व पटवार हल्का

सहा. कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

1259 / 860, 858, 860 रकबा क्रमशः 0.1000 है0, 0.0100 है0, 0.4200 है0 कुल खसरा 3 का कुल रकबा 0.5300 है0 भूमि का राजस्व रिकॉर्ड व मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस कर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 10.01.2023 को वाद वादी प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा तहसीलदार गुढागौडजी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0अ0 / 2023 / 1111 दिनांक 17.05.2025 के द्वारा इस न्यायालय में भिजवाये गये। जिसे पत्रावली में शामिल किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्ति विभाजन प्रस्ताव पेश किया। वादी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस श्रवण उपरान्त प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन के आधार प्रार्थना पत्र आपत्ति विभाजन प्रस्ताव पोषणीय होने से स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार गुढागौडजी से पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार गुढागौड़जी ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0 / 2025 / 3603 दिनांक 30.12.2025 के द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में भिजवाये। जिसे पत्रावली में शामिल किया गया। वाद वादी बहस श्रवण की गई। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वा वादी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना सही व न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: निर्णय :—

वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम व पटवार ह दूडिया में भूमि खसरा नम्बर 1259 / 860, 858, 860 रकबा क्रमशः 0.1000 है0, 0.0100 है0, 0 है0 कुल खसरा 3 का कुल रकबा 0.5300 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवा विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार के पत्र भू0अ0 / 2025 / 3603 दिनांक 30.12.2025 द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डि भाग रहेगा। खर्चा वादी पक्ष वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुम दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/4/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजला गया।

(सुप्रिया

सहायक कलक

सहा.. झुन्झु
झुंझुनू (रा

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुन्झुनू जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुप्रिया आर.ए.एस.

उनवान ख्यालीराम बनाम प्यारेलाल वगैरह

दावा बाबत् विभाजन भूमि व लगान एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. : 388 / 2024

निर्णय दिनांक : 30/4/26

वकील वादी श्री सुरेन्द्र चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 30/4/26 को सुप्रिया, सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री की जाती है कि वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम व पटवार हल्का दूडिया में भूमि खसरा नम्बर 1259 / 860, 858, 860 रकबा क्रमशः 0.1000 है0, 0.0100 है0, 0.4200 है0 कुल खसरा 3 का कुल रकबा 0.5300 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढ़ागौडजी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार के पत्र क्रमांक भू0अ0 / 2025 / 3603 दिनांक 30.12.2025 द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा वादी पक्ष वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/4/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	2	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिका	
योग	4	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)